स्वतंत्र कुमार, J. के सामने

गुरदेव सिंह और अन्य *-याचिकाकर्ता*

बनाम

पंजाब नेशनल बैंक और अन्य ,-उत्तरदाता

97 का सी. आर. सं. 4569

6 फरवरी, 1998

कोड o सिविल प्रक्रिया, 1908-धारा 34, आदेश 21 और 34 और नियम 11-प्रति वर्ष 12.5% की दर से ब्याज के साथ वसूली के लिए बैंक का मुकदमा-बंधकसंपत्ति-ट्रैक्टर-स्वीकार्य रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए सरल नहीं बल्कि वाणिज्यिक आधार पर उपयोग किया जाता है-निर्णय देनदार की आपत्ति कि ब्याज 6% p.a से अधिक नहीं हो सकता है। असमर्थनीय ऋण पर-निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है-डिक्री के अंतिम होने पर निष्पादन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है-निर्णय देनदार के संशोधन को खारिज किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि निष्पादन न्यायालय को पारित डिक्री की शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए डिक्री को निष्पादित करना होगा और डिक्री की संतुष्टि दर्ज करके निष्पादन को पूरा करना होगा।डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के साथ पठित भाग II के प्रावधानों के संदर्भ में निष्पादित किया जाना है।इन प्रावधानों के संचयी पठन और योजना का प्रभाव यह है कि निष्पादन न्यायालय की शक्तियां अपनी प्रकृति और दायरे में सीमित हैं।निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री के पीछे जाने और अपने नियमों और शर्तों को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे या तो अपील न्यायालय द्वारा या उसी न्यायालय द्वारा बदला और बदला जा सकता है जिसने कानून के अनुसार डिक्री पारित की थी।

(पैरा 10)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि डिक्री की शर्तों में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से एक डिक्री का अर्थ लगाने या डिक्री की व्याख्या करने या इसके नियमों और शर्तों को स्पष्टता देने के विपरीत समझा जाना चाहिए। एक नया फरमान जो न तो सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा अभिप्रेत था और न ही अनुमोदित था, न्यायालय द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। यह कानून का एक स्थापित नियम है कि जो सीधे कानून में अनुमत नहीं है, उसे सीधे कानून में अनुमत नहीं किया जा सकता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निष्पादन न्यायालय सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अक्षुण्ण और निर्बाध रखते हुए डिक्री को स्पष्टता, व्याख्या या अर्थ प्रदान कर सकता है। अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते समय यदि निष्पादन न्यायालय इन घटकों की आड़ में डिक्री के नियमों और शर्तों को भौतिक रूप से डिक्री के किसी भी पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए बदल देता है, जो कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी अपीलीय या न्यायालय ने डिक्री पारित की है, तो निश्चित रूप से निष्पादन न्यायालय एक निष्पादन न्यायालय के रूप में अपनी अधिकारिता से अधिक होगा।

(पैरा 11)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद में एक निश्चित प्रार्थना की गई थी जिसे प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी।न्यायालय ने इस मुद्दे का फैसला किया और प्रति वर्ष 12.5% की दर से ब्याज में राहत दी और उसके संदर्भ में डिक्री पारित की।उक्त डिक्री पक्षों के बीच अंतिम और बाध्यकारी हो गई है।निष्पादन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा कि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा विधिसम्मत डिक्री पारित करते समय दी गई ब्याज दर सही थी या गलत।

(पैरा 15)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आक्षेपकर्ता द्वारा दायर आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण बहुत हद तक खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

(पैरा 16)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि कृषि सरलीकरणकर्ता को आम तौर पर पर परंतुक के तहत बनाए गए स्पष्टीकरण के तहत आश्रय मिल सकता है, लेकिन जहां कृषि को वाणिज्यिक गतिविधि के साथ जोड़ा जाता है, वहां संरक्षण जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, बैंक द्वारा निश्चित रुख अपनाया गया है कि बंधक/काल्पनिक संपत्ति का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया है क्योंकि ट्रैक्टर का उपयोग उधारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के खेतों में किया गया था, जिसके लिए उसने विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक आधार पर धन अर्जित किया था।इस स्थिति के खंडन में निचली अदालत के समक्ष कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था।इसलिए, इस मामले के तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर लेते हुए, यह एक स्पष्ट मामला है जहां याचिकाकर्ता अपवाद के लाभ का हकदार नहीं होगा क्योंकि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था और इसका उपयोग विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक आधार पर आय के नियमित स्रोत के रूप में किया गया था।

(पैरा 18)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधानमंडल द्वारा संहिता में उद्देश्यपूर्ण रूप से कोई भी गैर-अस्थाई भाषा नहीं जोड़ी गई थी। "किसी अन्य विधि में संहिता के उपबंधों के अधीन इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी" का उल्लेख धारा 34 के शब्दों में नहीं किया गया है। वास्तव में, इसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि पक्षों के बीच किसी भी अनुबंध में इसके विपरीत कुछ भी निहित है। मेरे विनम्र विचार में संहिता के आदेश 34 के अधीन पक्षकारों को उपलब्ध संरक्षण को विफल करने के लिए धारा 34 के उपबंधों में अ-अस्थाई खंड को पढ़ना विधि में अनुज्ञेय व्याख्या होगी। प्रभारित करने के लिए पक्षों के बीच अनुबंध ब्याज की विशिष्ट दर को एक शून्य अनुबंध या एक अनुबंध नहीं माना जा सकता है जो सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। यदि पक्षों ने कोई अनुबंध (बंधक विलेख) किया है तो कानून की प्रक्रिया अनुबंध के प्रावधानों को विफल करने के बजाय अनुबंध को लागू करेगी, विशेष रूप से इसके समर्थन में किसी भी विधान सिद्धांत या अधीनस्थ के अभाव में।

(पैरा 22)

अशोक जिंदल, अधिवक्ता,-याचिकाकर्ता *के लिए*

जे. एस. भाटी, *अधिवक्ता,-प्रतिवादी के लिए।*

निर्णय

स्वतंत्र कुमार, जे.

1. इस पुनरीक्षण याचिका में न्यायालय द्वारा जिस विशिष्ट विषय को संबोधित किया जाना है, वह उन शक्तियों का विस्तार और सीमाएं हैं जिनका उपयोग निष्पादन न्यायालय सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा जारी डिक्री को लागू करने में कर सकता है।

2. यह पुनरीक्षण याचिका संकीर्ण तथ्यों से उत्पन्न होती है। प्रतिवादी-वादी पंजाब नेशनल बैंक ने रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। 21 फरवरी, 1990 को सिरसा में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में ब्याज सहित मूलधन के रूप में 1,80,507। याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे का विरोध किया गया था। विद्वत विचारण न्यायालय ने अंततः 4 जनवरी, 1993 को प्रतिवादियों के विरुद्ध और वादी के पक्ष में एक आदेश पारित किया। प्रासंगिक भाग आदेश इस प्रकार हैः

> ""यह आदेश दिया जाता है कि 1,80,507 रुपये की वसूली के लिए वादी बैंक का मुकदमा सफल होता है और इसके द्वारा वादी बैंक के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ संयुक्त रूप से और साथ ही भविष्य में 12.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ निर्णय लिया जाता है। मूल राशि की गणना वर्तमान वाद की स्थापना की तारीख से 21 फरवरी, 1990 से डिक्रीटल राशि की प्राप्ति तक की जाएगी। तदनुसार मैं एक प्रारंभिक डिक्री पारित करता हूं इस आशय का कि प्रतिवादी इस निर्णय के पारित होने की

तारीख से तीन महीने के भीतर डिक्रीटल राशि का भुगतान करेंगे। प्रतिवादियों की चूक में, वादी बैंक एक अंतिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार होगा, जिससे यह निर्देश दिया जाएगा कि गिरवी रखी गई संपत्ति या उसका पर्याप्त हिस्सा ट्रैक्टर था बेचे गए द्वारा अनुमानित, और बिक्री की आय (बिक्री के खर्चों से वहां कटौती के बाद) में भुगतान किया जाएगा| अदालत और वादी को देय प्रारंभिक डिक्री के तहत या उसके द्वारा जो पाया गया है या घोषित किया गया है, उसके भुगतान में आवेदन किया गया है, साथ ही ऐसी राशि जो बाद की लागतों, प्रभारों, खर्चों और ब्याज के संबंध में देय हो सकती है, और शेष, यदि कोई हो, प्रतिवादियों या उसी को प्राप्त करने के हकदार अन्य व्यक्तियों को भुगतान किया गया है।

3. यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि वाद में और विशेष रूप से प्रार्थना खंड में अभियोक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 34 के प्रावधानों के अनुरूप बंधक की याचिका के आधार पर प्रति वर्ष 12.5% की दर से ब्याज का दावा किया था।अदालत ने फैसले के अंतिम पैरा में भी स्पष्ट रूप से मुकदमा दायर करने की तारीख से डिक्रीटल राशि की प्राप्ति तक गणना की गई मूलधन की राशि पर प्रति वर्ष 12.5% की दर से भविष्य का ब्याज दिया था।इन आधार पर निचली अदालत ने बैंक को राहत देते हुए वनाच्छादित आदेश पारित किया था।

4. चूंकि निर्णय देनदार-याचिकाकर्ता डिक्री की शर्तों के अनुसार डिक्री राशि का भुगतान करने में विफल रहे, इसलिए कहा जाता है कि बैंक ने रुपये की वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर की है। 2, 31, 931.50।वनाच्छादित राशि की वसूली के लिए निष्पादन कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान निर्णय देनदार-याचिकाकर्ताओं द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि डिक्री में अतिरिक्त राशि का दावा किया गया है।उनका निवेदन था कि डिक्री धारक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज का

दावा नहीं कर सकता क्योंकि ऋण कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया था।इस विवाद के समर्थन में कृष्ण लाई बनाम स्टेट बैंक *ऑफ पटियाला* (1) *के मामले पर निर्भरता* रखी गई थी।

5. आक्षेपकर्ता याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस आवेदन को बैंक द्वारा चुनौती दी गई थी।बैंक के अनुसार वे संविदात्मक ब्याज दर की वसूली के हकदार थे क्योंकि यह बंधक के आधार पर वसूली के लिए एक मुकदमा है।

6. विद्वत निष्पादन न्यायालय ने 6 अक्टूबर, 1997 के अपने आदेश के माध्यम से आक्षेपकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया और गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी और उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित तिथियों द्वारा राशि की वसूली करने का निर्देश दिया।यह 6 अक्टूबर, 1997 के निष्पादन न्यायालय का यह आदेश है जिसे इस पुनरीक्षण याचिका में आक्षेपित किया गया है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय को अभियोक्ता द्वारा किए गए दावे के अनुसार 12.5% ब्याज नहीं देना चाहिए था, बल्कि केवल 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य में ब्याज दे सकता था।इसके अलावा यह तर्क दिया जाता है कि ऋण कृषि उद्देश्यों के लिए था और कृष्ण लाई के मामले (ऊपर) में इस *न्यायालय के फैसले* को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत की डिक्री जहां तक उसने 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज दिया है, वह अमान्य है।

8. दूसरी ओर, यहां डिक्रीधारक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने निष्पादन न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया है किः—

a) निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री के पीछे जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और डिक्री को थका देने के लिए पक्षकारों में से एक के पूर्वाग्रह के लिए अपनी शर्तों को बदलना;
b) विचाराधीन ऋण पक्षों के बीच एक विशिष्ट अनुबंध पर आधारित था और

एक बंधक पर स्थापित वसूली के लिए एक मुकदमा है। इसलिए, देय ब्याज 12.5% होगा न कि 6%।

c) कि किसी भी मामले में विचाराधीन ट्रैक्टर का उपयोग एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया था क्योंकि उधारकर्ता ट्रैक्टर का उपयोग अन्य खेतों को जोतने के लिए कर रहा था और उसी के लिए पैसे ले रहा था। इस प्रकार संहिता की धारा 34 के प्रावधानों के तहत बनाया गया अपवाद वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है|

9. पक्षकारों के लिए विद्वत वकील की उपरोक्त प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान संशोधन में विवाद से जो मूल प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे जा सकता है और अपने नियमों और शर्तों को बदल सकता है। बैंक के विद्वान वकील के प्रस्तुत किए जाने को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा के लिए विज्ञापन देना आवश्यक हो गया है कि वर्तमान प्रपत्र में आवेदन निष्पादन न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य भी नहीं था।

10. संहिता की धारा 38 के तहत, एक डिक्री को या तो उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाना है जिसने डिक्री पारित की है या उस न्यायालय द्वारा जिसे इसे निष्पादन के लिए भेजा गया है।

`निष्पादन न्यायालय को पारित डिक्री की शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए डिक्री को निष्पादित करना होता है और डिक्री की संतुष्टि दर्ज करके निष्पादन को पूरा करना होता है। डिक्री को संहिता के आदेश 21 के साथ पठित भाग-11 के प्रावधानों के संदर्भ में निष्पादित किया जाना है। इन प्रावधानों के संचयी पठन और योजना का प्रभाव यह है कि निष्पादन न्यायालय की शक्तियां उनकी प्रकृति और दायरे में सीमित हैं। निष्पादन न्यायालय करेगा |डिक्री के पीछे जाने और उसके नियमों और शर्तों को बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसे या तो अपीलीय न्यायालय द्वारा या उसी न्यायालय द्वारा बदला और बदला जा सकता है जिसने कानून के अनुसार डिक्री पारित की थी।`

11. अनावश्यक और व्यापक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए, विधायी इरादे और व्याख्या के सार्थक नियम का पालन किया जाना चाहिए। डिक्री जो अंत में पक्षों के बीच विवाद को निर्धारित करती है, उसे शब्द के वास्तविक अर्थ में अपनी अंतिमता प्राप्त करनी चाहिए और यह शब्द के परिवर्तन के लिए खुला नहीं होगा और निष्पादन में परिवर्तन के लिए खुला नहीं होगा। जय नारायण बनाम केदार नाथ के मामले में, (AIR 1956 S.C. 359) उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि न्यायालय डिक्री की निष्पादन क्षमता के प्रश्न में नहीं जा सकता है। एक निष्पादन न्यायालय को डिक्री लेनी चाहिए क्योंकि यह मुकदमे के पक्षों के बीच बाध्यकारी और निर्णायक डिक्री के लिए खड़ा है। {तोप मल छोटा माई बनाम कुंडू माई गंगा राम (AIR 1960 SC 388)|

12. डिक्री की शर्तों में बदलाव को स्पष्ट रूप से एक डिक्री का अर्थ लगाने या डिक्री की व्याख्या करने या इसके नियमों और शर्तों को स्पष्टता देने के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। न्यायालय एक नई डिक्री नहीं बना सकता है जिसका न तो इरादा है और न ही सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। यह कानून का एक स्थापित नियम है कि जो सीधे कानून में अनुमत नहीं है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निष्पादन न्यायालय सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अक्षुण्ण और निर्बाध रखते हुए डिक्री को स्पष्टता, व्याख्या या अर्थ प्रदान कर सकता है। अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए यदि निष्पादन न्यायालय इन अवयवों की आड़ में डिक्री के नियमों और शर्तों को डिक्री के किसी भी पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए भौतिक रूप से बदल देता है, जो होना चाहिए, यदि बिल्कुल भी, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के क्षेत्र में आता है, i.e. अपीलीय या न्यायालय ने डिक्री पारित की, निश्चित रूप से निष्पादन न्यायालय एक निष्पादन न्यायालय के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र से आगे

निकल जाएगा।

13. उदाहरण के लिए, निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री के सही अर्थ का पता लगाने के लिए कार्यवाहियों को देख सकता है और इसके परिणामस्वरूप डिक्री को कुछ स्पष्टता प्रदान कर सकता है और डिक्री को भवन वाजा *और अन्य बनाम सोलंकी* हनुजी *खोडाजी मनसंग और अन्य (AIR 1972 SC 1371) को* प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए डिक्री का अर्थ लगा सकता है।लेकिन निष्पादन न्यायालय इस आपत्ति पर विचार नहीं कर सकता है कि डिक्री कानून या तथ्यों पर गलत है{वासुदेव धनजीभाई मोदी बनाम राजाभाई अब्दुल रहमान (AIR 1970 SC 1475)}| इस अवलोकन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार दोहराया गया है।निष्पादन न्यायालय की शक्तियों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष जोर देने वाली संहिता की योजना की व्याख्या किसी भी तरह से किसी वैध डिक्री को रद्द करने या बदलने की शक्ति के साथ निहित करने के लिए नहीं की जा सकती है।

14. उपर्युक्त सिद्धांत किसी भी संदेह की अनुमति नहीं देते हैं।एक निष्पादन न्यायालय को डिक्री की शर्तों को बदलने की अनुमति देना सिविल न्यायशास्त्र के सभी तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ होगा। एक डिक्री जिसे पारित किया गया है और जिस पर नियमित अपीलों में हमला नहीं किया गया है, जो उन पक्षों के लिए उपलब्ध थे जिनके खिलाफ डिक्री पारित की गई थी, ऐसे पक्ष को डिक्री को बदलने के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसने सभी मामलों में अंतिमता प्राप्त कर ली है। पक्षकारों के पास कानून के अनुसार समीक्षा के लिए आवेदन करने का उपाय है। डिक्री की समीक्षा उस न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए जिसने डिक्री की हो और ऐसी अधिकारिता निष्पादन कार्यवाही में निष्पादन न्यायालय को उपलब्ध नहीं होगी। एक वादी के लिए उपलब्ध उपचार के माध्यमों का दूसरे की तुलना में बुनियादी और अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के

बिना उनके संबंधित क्षेत्रों में दोहन किया जाना चाहिए। यदि आक्षेपकर्ता की व्याख्या को अपनाया जाता है, तो प्रक्रियाओं की अंतिमता का स्थापित सिद्धांत खतरे में पड़ जाएगा।

15. रामेश्वर दास गुप्ता बनाम राज्य ofU.P के मामले में एक बहुत ही हाल के फैसले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ कानून के *अच्छी तरह से* स्थापित *सिद्धांतों को दोहराया गया* है और एक अन्य (6), जहां कुछ हद तक समान प्रश्न पर टिप्पणी करते हुए, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः—

"यह तय कानूनी स्थिति है कि एक निष्पादन न्यायालय निष्पादन के तहत आदेश या डिक्री से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसे केवल आदेश 21, सीपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आदेश को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र मिलता है।
XX XX XX

मुद्दा यह है कि क्या निष्पादन न्यायालय भुगतान में देरी या तर्कहीन निष्पादन स्थिति के आधार पर ब्याज डिक्री देने का निर्णय ले सकता है जो निष्पादन के आदेश में शामिल नहीं था। ? हमारे विचार में, निष्पादन न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है और आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसके द्वारा एक अमान्य आदेश है। यह सच है कि उच्च न्यायालय आम तौर पर धारा 115, सीपीसी के तहत अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, लेकिन एक बार यह माना जाता है कि निष्पादन न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, तो इसे ठीक करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। इसलिए, हम ब्याज के भुगतान के निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने और उसे दरकिनार करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

16. उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि विचाराधीन मुकदमा पक्षों के बीच एक विशिष्ट अनुबंध के आधार पर एक बंधक मुकदमा था।

वादी में एक निश्चित प्रार्थना की गई थी जिसे प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस मुद्दे का फैसला किया और प्रति वर्ष 12.5% की दर से ब्याज की राहत दी और उसके संदर्भ में डिक्री पारित की। उक्त डिक्री पक्षों के बीच अंतिम और बाध्यकारी हो गई है। निष्पादन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा कि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा विधिसम्मत डिक्री पारित करते समय दी गई ब्याज दर सही थी या गलत।

न्यायालय केवल अभिवचनों आदि के संदर्भ में गणना कर सकता है और न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री की संतुष्टि से संबंधित अन्य सहायक प्रश्नों पर विचार कर सकता है। पूर्व-प्रकार के विवाद केवल समीक्षा या अपील का विषय हो सकते हैं, जैसा भी मामला हो। अदालत ने पारित किया डिक्री सभी प्रयोजनों के लिए अपनी अधिकारिता नहीं खोती है और किसी भी मामले में संहिता अधिकारिता देने के लिए निश्चित प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है जो डिक्री को पारित करती है, या अपील के मामले में अपीलीय न्यायालय। मोहिंदर सिंह बनाम गुरदियाल सिंह और एक अन्य (1997 (1) भारतीय नागरिक मामले 803) का संदर्भ दिया जा सकता है।

17. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए।मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि आक्षेपकर्ता द्वारा दायर आवेदन को बहुत ही कम समय में खारिज कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि यह बनाए रखने योग्य नहीं था।

18. संहिता की धारा 34 के प्रावधान ब्याज की दर प्रदान करते हैं जो न्यायालय किसी डिक्री धारक को ब्याज लंबित और भविष्य के ब्याज के कारण डिक्री पारित करते समय दे सकता है। धारा 34 का प्रावधान इस प्रभाव के लिए अपवाद है कि यदि लेनदेन एक

वाणिज्यिक लेनदेन है, तो भविष्य की ब्याज दर 6% से अधिक हो सकती है, लेकिन ब्याज की संविदात्मक दर से अधिक नहीं होगी। वाणिज्यिक लेन-देन शब्द को संहिता की धारा 34 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण (ii) के तहत समझाया गया है। इसके अनुसार लेन-देन एक वाणिज्यिक लेन-देन है यदि यह उद्योग, व्यापार से जुड़ा हुआ है या आंशिक रूप से दायित्व वहन करने वाले का व्यवसाय।

19. कृषि को आम तौर पर परंतुक के तहत उकेरी गई व्याख्या के तहत आश्रय मिल सकता है, लेकिन जहां कृषि को वाणिज्यिक गतिविधि के साथ जोड़ा जाता है, वहां संरक्षण जाना चाहिए।वर्तमान मामले में बैंक द्वारा अलग रुख अपनाया गया है कि गिरवी/काल्पनिक संपत्ति का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया है क्योंकि ट्रैक्टर का उपयोग उधारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के खेतों में किया गया था, जिसके लिए उसने विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक आधार पर पैसा कमाया था।इस स्थिति के खंडन में निचली अदालत के समक्ष कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था।इसलिए, इस मामले के तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर लेते हुए, यह एक स्पष्ट मामला है जहां याचिकाकर्ता अपवाद के लाभ का हकदार नहीं होगा क्योंकि ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था और इसका उपयोग विशुद्ध रूप से आय के नियमित स्रोत के रूप में किया गया था।कृष्ण ला) (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय *के फैसले* के *साथ-साथ जगदीश चंदर बनाम पंजाब* नेशनल बैंक और अन्य (1994 पी. एल. जे 304) के मामले में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के लिए कोई मदद नहीं होगी क्योंकि इन मामलों में याचिकाकर्ता का रुख यह नहीं था कि उधारकर्ता ने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया था।उन्होंने हाइपोथेकेटेड का इस्तेमाल किया था!विशुद्ध रूप से एक ऐसे लेनदेन के लिए जिसे वाणिज्यिक लेनदेन कहा जा सकता है।

20. एक अन्य कारक जिस पर एक आवश्यक परिणाम के रूप में विचार करने की आवश्यकता है, वह है संहिता के आदेश 34 के स्पष्ट प्रावधानों के सामने खंड 34 के प्रावधानों का प्रभाव और अनुप्रयोग।आदेश 34 के प्रावधान संहिता के भीतर ही एक स्व-निहित अध्याय है।बंधक से संबंधित मुकदमे इस आदेश के प्रावधानों के तहत दायर किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं और डिक्री निष्पादित की जाती है।विधानमंडल द्वारा वसूली के सामान्य मुकदमों में एक स्पष्ट अंतर किया गया है और इस विशेष आदेश के तहत दायर बंधक मुकदमे।आदेश 34 के नियम 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे मुकदमों के संबंध में क्या ब्याज देय है जो संहिता के आदेश 34 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित हैं।संहिता के आदेश 34 के नियम 11 में केवल बंधक मुकदमों के लिए एक प्रतिबंधित और सीमित अनुप्रयोग है, जबकि खंड 34 बड़े दायरे और अनुप्रयोग का प्रावधान है।आदेश 34 के प्रावधान स्पष्ट रूप से संहिता में निहित सामान्य प्रावधानों, विशेष रूप से संहिता की खंड 34 के संबंध में विशिष्ट और विशेष प्रावधान होंगे।पंजाब नेशनल बैंक बनाम राम दर्शन सिंह और अन्य ((1994-2) P.L.R. 122) के मामले में, इस न्यायालय की एक पीठ को इस प्रश्न पर कुछ विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला था।पंजाब राज्य बनाम कृष्ण दयाल शर्मा, (A.I.R. 1990 S.C. 2177) के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः—

"डिक्री में विशेष रूप से कहा गया था कि इस राशि की वसूली गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री से की जा सकती है।इस प्रकार, यह आदेश 34 के तहत एक डिक्री है और आदेश 34 के नियम 11 के प्रावधान लागू होंगे न कि सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 34 के प्रावधान।यह वह दृष्टिकोण है जो चनन सिंह के मामले (ऊपर) में

लिया गया है।इस प्रकार, डिक्री देने वाले न्यायालय ने मूल राशि और उस पर देय ब्याज की दर को सही ढंग से निर्धारित किया, जो पक्षों के बीच सहमत दर थी।"

इस न्यायालय ने ईश्वर सिंह बनाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (1996 ISJ (Banking) 114) और *सांता सिंह* बनाम *पंजाब नेशनल बैंक* (1996 ISJ (Banking) 114) के *मामलों में* भी *ऐसा ही विचार* रखा था।

21. संहिता की खंड 34 और आदेश 34 नियम-11 के प्रावधानों को नंगे पढ़ने पर उनके बीच कोई टकराव स्वीकार नहीं किया जाता है।वे विशिष्ट और अलग-अलग प्रावधान हैं जो दूसरे के हिस्से के लिए हस्तक्षेप किए बिना अपने स्वयं के क्षेत्र में काम करना चाहिए।बंधक मुकदमे एक विशेष अनुबंध पर आधारित होते हैं।ब्याज की दर सहित बंधक के नियम और शर्तें पक्षों के बीच अनुबंध का सार हैं, लेकिन उसमें निहित नियमों और शर्तों के लिए बैंकर के पास उधारकर्ता को अग्रिम ऋण नहीं होगा।अनुबंध में ब्याज की एक विशिष्ट दर का प्रावधान है और यदि इस तरह की ब्याज दर अदालत द्वारा डिक्री पारित करने के समय उचित विचार-विमर्श के बाद दी जाती है, तो इसे बदला या बदला नहीं जा सकता है।निष्पादन न्यायालय द्वारा भिन्न।डिक्री पारित करने वाले सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा अस्वीकार या प्रदान की गई राहत को निष्पादन न्यायालय द्वारा दूसरे पक्ष के नुकसान और पूर्वाग्रह के लिए निराश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में निष्पादन न्यायालय सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पर अपील में नहीं बैठता है।

22. सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक कानून है और इसकी तुलना किसी ठोस दंडात्मक या आपराधिक कानून के प्रावधानों से नहीं की जा सकती है।खंड 34 के प्रावधानों को कानून निर्माताओं

द्वारा सावधानीपूर्वक लिखा गया है।विधानमंडल ने जानबूझकर संहिता में कोई गैर-अस्थाई खंड पेश नहीं किया है।खंड 34 की भाषा किसी अन्य कानून में संहिता के प्रावधानों के तहत इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद न तो खुलती है और न ही उल्लेख करती है।वास्तव में इसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि पक्षों के बीच किसी भी अनुबंध में इसके विपरीत कुछ भी निहित है।मेरे विनम्र विचार में संहिता के आदेश 34 के तहत पक्षों को उपलब्ध संरक्षण को विफल करने के लिए खंड 34 के प्रावधानों में एक गैर-अस्थाई खंड को पढ़ना कानून में अस्वीकार्य व्याख्या होगी।स्वयं ब्याज की एक विशिष्ट दर वसूलने के लिए पक्षों के बीच अनुबंध को एक अमान्य अनुबंध या एक अनुबंध नहीं माना जा सकता है जो सार्वजनिक नीति के विपरीत है।यदि पक्षों ने कोई अनुबंध (बंधक विलेख) किया है तो कानून की प्रक्रिया अनुबंध के प्रावधानों को विफल करने के बजाय अनुबंध को लागू करेगी, विशेष रूप से किसी भी कानून के सिद्धांत या अधीनस्थ की अनुपस्थिति में में।वर्णम सिंह बनाम यूको *बैंक, (1997 ISJ (Banking) 482)* के *मामले में,* इस न्यायालय की एक पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:—

"एवरेस्ट औद्योगिक निगम और अन्य बनाम गुजरात *राज्य वित्तीय निगम में।ए. आई. आर. 1987 एस.* सी. 1950 शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी सिविल न्यायालयों में दायर बंधक मुकदमों में देय ब्याज का प्रश्न संहिता के आदेश 34 नियम 11 द्वारा शासित होता है न कि खंड 34 द्वारा, जो केवल संहिता के आदेश 34 नियम 6 के तहत पारित व्यक्तिगत फरमानों के मामलों पर लागू हो सकता है।

वर्तमान मामले में, स्वीकार किया जाता है कि निर्णय-ऋणदाताओं-याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम ऋण के उचित भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में अपनी भूमि को गिरवी रखा था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह केवल कृषि उद्देश्य के लिए ऋण नहीं था और ऐसे मामलों में संहिता की खंड 34 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, लेकिन संहिता के आदेश 34 नियम 11 के तहत ब्याज लिया जाता

है।"

23. इस स्तर पर एन. एम. वीरप्पा बनाम करियारा बैंक और अन्य (J.T. 1998 (1) S.C. 221) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले का *संदर्भ देना* उचित *होगा।जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय* ने अभिनिर्धारित किया कि खंड 34 संहिता के आदेश 34 नियम 11 द्वारा नियंत्रित बंधक मुकदमों के लिए कोई आवेदन नहीं है और न्यायालय केवल उसके तहत प्रदान की गई सीमाओं के भीतर अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।

24. विस्तृत चर्चा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी/बैंक की योग्यता स्वीकृति पर प्रस्तुतियां, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई याचिकाओं को खारिज करने की आवश्यकता है।विद्वत निष्पादन न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि बैंक टी. एल. टी. ई. डिक्री के तहत उसे दी गई ब्याज दर का हकदार था और इस तरह की ब्याज दर को 12.5% प्रति वर्ष के बजाय 6 प्रतिशत प्रति वर्ष नहीं किया जा सकता था, जिसे न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था।आदेश में अधिकारिता या रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट अन्य त्रुटि नहीं है जो इस न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप की मांग करेगी।

25. इन कार्यवाही में किसी भी वकील द्वारा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया था।

26. उपरोक्त चर्चा का अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।हालांकि लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कह्रखोदा (सोनीपत) हरियाणा